न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 172/2013 दायरा दिनांक : 16.08.2013

उनवान

1— प्रेमलता सुराणा पत्नी कमल कुमार सुराणा जाति जैन

2— कमल कुमार पुत्र नेमीचन्द सुराणा जाति जैन

3— प्रवीण कुमार पुत्र कमल कुमार सुराणा जाति जैन निवासी शांतिनाथ जी के मंदिर की गली बजाज खाना झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मंजू कुमारी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जैन निवासी शांतिनाथ जी के मंदिर की गली बजाजखाना झालरापाटन

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, तहसील झालरापाटन

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री मो. मंसूर आलम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के निर्णय दिनांक 20—06—2013 में बनाराजगी पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के संयुक्त खाते की आराजी खाता संख्या 491 पुराना 440 की ख.नं. 2394 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा ख.नं. 2411 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 का कुल रकबा 5 बिस्वा 1 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की माता श्रीमती ललित कुंवर पत्नी नेमीचन्द जैन के खाते दर्ज थी, अब प्रार्थी क्रम 1 व 2 के खाते में आधा – आधा हिस्सा दर्ज चली आ रही थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा आदेश दिनांक 20–06–2013 से अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से विवादग्रस्त आराजी के आधे भाग पर अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किये जाने से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

पैतृक सम्पत्ति के बंटवारें का विवाद होने के कारण प्रार्थिया द्वारा दिनांक 19–10–2011 को सीमाज्ञान के अनुसार उक्त आराजी पर बाउण्ड्री करवाने लिए पत्थर डाल रही थी तो अपीलांट/अप्रार्थीगण ने एक होकर पत्थर डलवाने व बाउण्ड्री वॉल बनवाने से रोकने लगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20–06–13 को दखलअंदाजी न करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील निम्न आधार पर पेश की गई।

उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है।

उक्त आराजी पर कमल कुमार का कब्जा है। आपसी सहमति में हुए बंटवारे में उपरोक्त आराजी कमल कुमार के हिस्से आई थी अतः वादी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नहीं होने से निर्णय दिनांक

20–05–2013 निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.07.2013 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण अपीलांट के अभिभाषक की एक तरफा बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

उपरोक्त आराजी खसरा नं. 2432 मंजू कुमारी पत्नी महेन्द्र कुमार की खातेदारी में जमा संवत् 2065–68 में दर्ज है। यद्यपि अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसके अनुसार जमीन अपीलांट द्वारा मुनाफा काश्त पर देना बताया है। पर यह भी निर्विवाद सत्य है कि रेस्पोडेंट उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार को उसके अधिकारों से व काश्त करने से रोकना उचित नहीं होगा। यदि टाईटल का विवाद है तो अपीलांट को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दावा करना चाहिए।

वर्तमान में राजस्व मण्डल की फुल बैंच में निर्णय दिनांक 30.08.2018 उनवान सरजू राव बनाम अमृत लाल अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा वगैरह के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय

क्षति भी अपीलांट को किस प्रकार से हो रही है यह अपीलांट द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–06–2013 उचित है एवं हम उसमें किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा